भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 219

जिसका उत्तर 2 फ़रवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के तहत कृषि-योग्य क्षेत्र

219. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'हर खेत को पानी' योजनांश के तहत अब तक संवर्धित कृषि योग्य क्षेत्र और सृजित नए जल संसाधनों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमकेएसवाई के तीन घटकों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई आवधिक मूल्यांकन, किया जा रहा हो तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2024 तक 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हो रही है; और

(घ) फसल की पैदावार बढ़ाने और सिंचाई पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (आईपीयू) के बीच विद्यमान व्यापक अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक व्यापक योजना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक, नामतः त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। हालाँकि, वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई को जारी रखने की मंजूरी देते हुए, भारत सरकार द्वारा केवल जारी कार्यों के लिए जीडब्ल्यू विकास घटक को अस्थायी रूप से अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो घटक भी शामिल थे। पीएमकेएसवाई के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था, जो अब पीएमकेएसवाई का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक को भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2016 में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम घटक के तहत शामिल 85 परियोजनाओं के तहत, वर्ष 2016-2022 के दौरान 16.42 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमान क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई घटक के तहत वर्ष 2016-2022 के दौरान 2.58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई है, इस अवधि में 2,406 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के आरआरआर घटक के तहत, वर्ष 2016-2022 के दौरान 0.84 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई है, जिसमें 1,134 जल निकायों में कार्य पूर्ण होने और 131.15 मिलियन घन मीटर के भंडारण क्षमता का पुनरुद्धार किया गया है। एचकेकेपी के जीडब्ल्यू विकास घटक के तहत, जून, 2022 तक, 27,962 कुएं निर्मित किए जा चुके हैं, जिससे 70.89 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

(ख): नीति आयोग के तहत विकास मानीटरिंग और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई का मूल्यांकन किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा "भारत के कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार में सूक्ष्म सिंचाई का प्रदर्शन और प्रभाव: पीएमकेएसवाई - पीडीएमसी का अध्ययन" किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों और एजेंसियों

द्वारा समय-समय पर पीएमकेएसवाई के तहत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

(ग): उपरोक्त उल्लिखित पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के विभिन्न घटकों के तहत सृजित सिंचाई क्षमता के अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-2022 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक के तहत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 24.35 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-22 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत, 67.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक के तहत, वर्ष 2015-22 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ 14.54 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के तहत शामिल किया गया है।

(घ): निर्मित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के मध्य अंतर को कम करने के लिए, संबंधित राज्य सरकारें कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन संबंधी कार्य कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑन-फार्म विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष, 1974-75 से, भारत सरकार कमान क्षेत्र विकास योजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सीएडी एंड डब्ल्यूएम कार्यों के लिए चिन्हित परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसे बाद में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के रूप में अपनाया गया है। यह योजना वर्ष 2015 में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी योजना के अंतर्गत शामिल की गई थी। वर्ष 2016 से, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीएडी और डब्ल्यूएम कार्यों को प्रदान की जाने वाली केंद्रीय सहायता पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 85 योग्य परियोजनाओं के संबंध में सीएडी और डब्ल्यूएम कार्यों के समानांतर कार्यान्वयन तक सीमित है।

*****